भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 451

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि पर व्यय

451. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय के दोनों विभागों द्वारा बजटीय आबंटन के सापेक्ष कम खर्च किए जाने के कारण क्या हैं;
(ख) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बजट निधि में की गई कटौती के क्या कारण हैं;
(ग) स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट में कृषि का अनुमोदित बजटीय आबंटन, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है; और
(घ) प्रो॰ एम॰एस॰ स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट, जो कृषि क्षेत्र के पुनरोद्धार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, के लागू होने की स्थिति तथा ऐसी सिफारिशों की संख्या, जिन्हें सरकार ने वास्तव में लागू किया है, क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी किसानों के डेटा अपलोड नहीं हो पाया जिसके कारण कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में मुख्यत: पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना (प्रत्यक्ष किसान आय सहायता) के अंतर्गत निधि अव्ययित है। इसके अलावा बजट आवंटन एवं व्यय में अंतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में समावेश क्षमता की कमी और टीएसपी तथा एससीएसपी घटक के लिए निर्धारित निधियों को जारी न करने के कारण था।

जहां तक डेयर/आईसीएआर का संबंध है, बजटीय आवंटन एवं व्यय का अंतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में समावेश क्षमता की कमी और टीएसपी तथा एससीएसपी घटक के लिए निर्धारित निधियों को जारी न करने के कारण था।

(ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत सरकार ने बजटीय प्रावधान 9429 करोड़ रू. (2018-19) से बढ़ाकर 9684.56 करोड़ रू. (2019-20) किया है।

(ग) और (घ): एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी), जिसका गठन कार्य योजना तैयार करने के लिए किया गया, ने राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ), 2007 से 201 कार्रवाई बिंदु को चिन्हित किया, जहां आवश्यक कार्रवाई की जानी थी। सरकार द्वारा अभी तक चिन्हित 201 कार्रवाई बिंदुओं में से, 200 बिंदुओं को पहले ही कार्यान्वित किया गया है।

****